रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमैंट बिल/1-44/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005

का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह 14 जुलाई, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2005 का 12

धारा 62 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62 की उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यौहारी को, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हो, अधिनियम के अधीन विनिर्मित माल के विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर की किसी भी प्रकार की रियायत का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि ऐसी रियायत की घोषणा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कर से छूट की रियायत के बदले में, केवल कर के आस्थगित संदाय की प्रसुविधा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात कर सकेगी जैसी यह उसमें विनिर्दिष्ट करे।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 8 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62(5) के अधीन केवल उन्हीं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों, जो हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन विक्रय कर (उनके द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर) के किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की प्रसुविधा का उपभोग कर रही थी और जो ऐसे प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनी रहती यदि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 प्रथम अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त नहीं हुआ होता, को अनवसित अवधि के लिए प्रोत्साहन अनुज्ञात किए जा सकेंगे । परन्तु, सरकार द्वारा उद्योग विभाग में "दी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रूल्ज रिगार्डिंग ग्रान्ट ऑफ इन्सेनटिवज, कन्सैशनज एण्ड फैसिलीटिज टू इण्डस्ट्रियल युनिट्स इन हिमाचल प्रदेश, 2004" को भी अधिसूचना संख्या इण्ड–ए(एफ)6–7/2004, तारीख 30 दिसम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा नए उद्योगों (जिनके अन्तर्गत पर्याप्त विस्तार कर रहीं विद्यमान इकाईयां भी हैं) जो हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व उत्पादन में आई थीं या जिनके 01–04–2005 के पश्चात् उत्पादन में आने की या विस्तार पूर्ण करने की सम्भावना है, को दस वर्ष तक कतिपय प्रोत्साहन दिये गए थे । परिणामस्वरूप सरकार द्वारा पूर्व में घोषित किए उन प्रोत्साहनों को संरक्षित करना अनिवार्य समझा जिनके लिए उद्यमी 01–04–2005 के पश्चात् भी औद्योगिक इकाई को स्थापित या विस्तारित करने के लिए हकदार था ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 8) 12 जुलाई, 2005 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे 14 जुलाई, 2005 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था । अतः अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित करना अपेक्षित है ।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री ।

शिमला :

तारीख......................., 2005

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर सरकार को छूट के प्रोत्साहनों तथा आस्थगन, जिससे प्राप्तियां कम हो सकती हैं या संदाय मुल्तवी हो सकते हैं, जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, को अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाएंगे । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 सरकार को, विनिर्मित माल के विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर के प्रोत्साहन को अनुज्ञात करने हेतु अधिसूचना जारी करने तथा छूट के बदले में आस्थगन का प्रोत्साहन अधिसूचित करने को सशक्त करने के लिए है । शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[नस्ति संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ(11)5/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005 की विषय–वस्तु को सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख.............., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2005.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows: —

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 14th day of July, 2005.

Amendment of section 62.

2. In section 62 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after sub-section (5), the following provisos shall be added, namely: — 12 of 2005

"Provided that the State Government may, by notification, allow any dealer, whether registered before or after the commencement of this Act to avail of any incentive of tax leviable on the sale of manufactured goods under the Act, if such incentive has been declared by the State Government before the commencement of this Act:

Provided further that the State Government may, by notification, in lieu of the incentive of exemption from tax under the preceding proviso, allow only the facility of making deferred payment of tax, subject to such conditions as it may specify therein.".

Repeal of Ordinance No. 8 of 2005 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 62(5) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, only those existing Industrial Units which were enjoying the benefit of any incentive of sales tax (on the sale of goods manufactured by them) under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and who would have continued to be eligible for such incentives but for coming into force of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 with effect from 1st April, 2005, could be allowed the incentives for the un-expired period. But, the Government, in the Department of Industries, had also notified the Industrial Policy Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial Units in Himachal Pradesh, 2004 *vide* Notification No. Ind. A(F)6-7/2004, dated 30th December, 2004 announcing certain incentives upto 10 years to new industries (including existing units undertaking substantial expansion) which came into production prior to the date of commencement of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 or are likely to come into production or complete expansion subsequent to 01-04-2005. Consequently, it was considered essential to protect the incentives already announced by the Government under which an entrepreneur was entitled to setup or expand the industrial unit even after 01-04-2005.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005 (H. P. Ordinance No. 8 of 2005) was promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th July, 2005, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 14th July, 2005. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

Shimla:
The............., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted will enable the Government to notify the incentives of exemption and deferment which may entail lower receipts or postpone payments, which cannot be quantified. The provisions of this Bill, after being enacted, are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Government to issue notification allowing incentive of tax leviable on the sale of manufactured goods and also to notify the incentive of deferment in lieu of exemption. This delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

[File No. EXN-F (11) 5/2004]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2005, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla :
The.................., 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित